भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 43

जिसका उत्तर दिनांक 13.12.2018 को दिया जाना है

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण रक्षोपायों के अंतर्गत आने वाले नाभिकीय केंद्र

*43. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आई.ए.ई.ए.) रक्षोपायों के अंतर्गत आने वाले और इसके दायरे से बाहर भारतीय नाभिकीय केंद्रों की पृथक-पृथक संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या हाल ही में चार और नाभिकीय रिएक्टरों को ऐसे रक्षोपायों के अंतर्गत रखा गया और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाभिकीय केन्द्रों को आई.ए.ई.ए. रक्षोपायों के अंतर्गत रखे जाने से भारत की नाभिकीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग राष्ट्र हित में किस तरह अंतरराष्ट्रीय रक्षोपायों के दायरे से बाहर आ पाएगा?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

****

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग

"अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण रक्षोपायों के अंतर्गत आने वाले नाभिकीय केंद्र" के संबंध में डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *43, जिसका उत्तर दिनांक 13.12.2018 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आई ए ई ए) की अभिरक्षा के अधीन 26 फैसिलिटियाँ – ईंधन संविरचन सुविधाएं, नाभिकीय सामग्री भंडार हैं, तथा चौदह प्रचालनरत नाभिकीय विद्युत संयंत्र (एन पी पी) और 4 निर्माणाधीन नाभिकीय विद्युत संयंत्र हैं। शेष 8 प्रचालनरत एन पी पी, 4 निर्माणाधीन एन पी पी तथा अन्य सभी नाभिकीय सुविधाएं आई ए ई ए अभिरक्षा के दायरे से बाहर हैं।

(ख) जी, हाँ। काकरापार, गुजरात में निर्माणाधीन दो स्वदेशी रिएक्टरों – के ए पी पी 3 तथा 4 (2X700 मेगावाट) और कुडनकुलम, तमिलनाडु में रूसी परिसंघ के तकनीकी सहयोग से स्थापित किए जा रहे दो रिएक्टरों– के के एन पी पी 3 तथा 4 (2X1000 मेगावाट) को क्रमशः 11 सितम्बर, 2017 तथा 07 मई, 2018 को आई ए ई ए अभिरक्षा के अधीन लाया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जो नाभिकीय फैसिलिटियाँ हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं और जिन्हें सिविलियन माना गया है, उन्हें आई ए ई ए अभिरक्षा के तहत दिया गया है। यह भारत की पृथक्करण योजना के अनुसार भी है। आगे, नाभिकीय फैसिलिटी के लिए आई ए ई ए अभिरक्षा को हटाने का पर्याप्त प्रावधान भारत के अभिरक्षा करार में है।

****